श्री सरयू राय, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–30.07.2024 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–05

क्या मंत्री,
उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :— मंत्री—

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि जमशेदपुर की इंडियन केबल कंपनी (इंकैब) बंद है और कंपनी की सभी हल्की एवं भारी मशीनें चोरी हो गयी है;	आंशिक स्वीकारात्मक। सर्वश्री इंडियन केबल कंपनी (इंकैब) वर्त्तमान में निष्क्रिय है। इकाई में उत्पादन कार्य अप्रैल 2000 से बंद है एवं इकाई परिसर में कर्मचारियों का प्रवेश निषिद्ध है। स्थानीय गोलमुरी थाने से प्राप्त जानकारी के अनुसार हाल के वर्षों में इकाई द्वारा चोरी की कोई घटना/प्राथमिकी दर्ज नहीं करायी गयी है।
2.	क्या यह बात सही है कि जिस 177 एकड़ भूमि पर इंकैब स्थापित थी, उस भूमि का लीज वर्ष 2019 में समाप्त हो गया है?	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि 177 एकड़ भू–खण्ड पर केबुल कारखाना या अन्य उद्योग अथवा नई आर्थिक गतिविधियां आरंभ करने से रोजगार सृजन होगा, परन्तु सरकार इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार केबुल कंपनी का पुर्नद्धार करने मुक्त लीज भूमि को कब्जा में लेकर नये उद्योग आरंभ करने तथा वहां के आवासितों के घर–घर में तथा आवासी परिसर में समस्त जन–सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	NCLT कोलकाता के द्वारा इस कंपनी को दिनांक–07.02.2020 को दिवालिया घोषित कर दिया गया है एवं श्री पंकज कुमार टिबरेवाल को Resolution Professional के रूप में नियुक्त किया गया है। NCLT में गत सुनवाई दिनांक–23.02.2024 को हुई है। Resolution Plan ऋणदाताओं की समिति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है जो कि माननीय न्यायालय NCLT कोलकाता में अनुमोदन हेतु लंबित है। NCLT कोलकाता के अनुमोदनोपरांत Resolution Plan के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई करना नियमसंगत होगा।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक–01/विधानसभा–03–14/2024 950 /राँची, दिनांकः– 29/07/2024

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–3174 दिनांक–24.07.2024 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/07/24

सरकार के अवर सचिव
उद्योग विभाग।